

पञ्चावली पंश हुई। वादी मंरा मध्यम  
उपरिस्थित। वादी स्वयं ने न्यायालय में  
उपरिस्थित होकर कथन किया कि उसके तथा  
प्रतिवादिना श्रीमती सेजन एवं श्रीमती कानता  
के बीच कोई के वाहर सामाजिक स्तर पर  
समझौता हो चुका है, जिससे अब उसके  
व प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद शेष  
नहीं रहा है। इसलिये वह (वादी)  
अब इस मामले में आगे कोई कार्यवाही  
नहीं चाहता है। अतः मामले को इसी  
स्तर पर समाप्त कर दिया जाये।

पञ्चावली पंश हुई। वादी मंरा मध्यम  
उपरिस्थित। वादी स्वयं ने न्यायालय में  
उपरिस्थित होकर कथन किया कि उसके तथा  
प्रतिवादिना श्रीमती सेजन एवं श्रीमती कानता  
के बीच कोई के वाहर सामाजिक स्तर पर  
समझौता हो चुका है, जिससे अब उसके  
व प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद शेष  
नहीं रहा है। इसलिये वह (वादी)  
अब इस मामले में आगे कोई कार्यवाही  
नहीं चाहता है। अतः मामले को इसी  
स्तर पर समाप्त कर दिया जाये।

18/7/2016

रिप

पञ्चावली पंश हुई। वादी मंरा मध्यम  
उपरिस्थित। वादी स्वयं ने न्यायालय में  
उपरिस्थित होकर कथन किया कि उसके तथा  
प्रतिवादिना श्रीमती सेजन एवं श्रीमती कानता  
के बीच कोई के वाहर सामाजिक स्तर पर  
समझौता हो चुका है, जिससे अब उसके  
व प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद शेष  
नहीं रहा है। इसलिये वह (वादी)  
अब इस मामले में आगे कोई कार्यवाही  
नहीं चाहता है। अतः मामले को इसी  
स्तर पर समाप्त कर दिया जाये।

वादी के उपर्युक्त कथन व सहमति

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव

श्री अरु

विपक्षी श्रीमती सेज

पत्रावली संख्या 12 सन् 2016

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई

के आश्रय पर वाडी का वाड इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।  
पचावली फंसल ~~संख्या~~ संख्या संकर संकर से कम की जाकर दखिल इफ्तदर हो आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया।

18/07/16

अधिकारी, उपखण्ड